न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– पीयुष समारिया,आई.ए.एस.,जिला कलक्टर नागौर

रसद मामला संख्या– 114/2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2021/175

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्योलय, नागौर		1–ईश्वरचन्द पुत्र दामाराम निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर 2–रामप्रताप पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी खरजाणी बास जसरासर तह.नोखा जिला बीकानेर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री भागीरथ चौधरी।

निर्णय दिनांक –29-03-2023

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तसुदा पिकअप वाहन संख्या–आर.जे. 13 जीए 3807 चार लोहे के ड्रम मय 580 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 19.10.2021 को पुलिस थाना श्री बालाजी तहसील नागौर से प्राप्त तहरीर के आधार पर श्री कंवराराम जिला रसद अधिकारी, नागौर हमराह रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी व रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षक पुलिस थाना श्रीबालाजी पहुंचे। मौके पर पुलिस थाना श्रीबालाजी द्वारा डिटेन सुदा वाहन सं. आर.जे. 13 जी.ए. 3807 पिकअप व उसमे भरे हुए लोहे के ड्रमों ने भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का निरीक्षण करवाया। मौका निरीक्षण के दौरान मौके पर पुलिस द्वारा डिटैन सुदा वाहन सं. आर जे.13 जी.ए. 3807 पिकअप जिसमें पिछे रखे हुए 4 लोहे के ड्रमों मे तीन ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुए व एक ड्रम खाली पाया गया। मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ से भरे लोहे के तीन ड्रमों का डिप रोड से मापन करने पर दो ड्रमों में 200 लीटर प्रति ड्रम कुल 400 लीटर व एक ड्रम में 180 लीटर इस प्रकार तीनों ड्रमों मे कुल 580 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी रामप्रताप वाहन चालक आर.जे. 13 जी.ए. 3807 व अप्रार्थी ईश्वरचन्द से पूछताछ कर बयान दर्ज किये गये। अपने बयानों मे अप्रार्थी रामप्रताप ने स्वीकार किया कि वह पिकअप वाहन का चालक है। अप्रार्थी रामप्रताप द्वारा वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.ए. 3807 की आर.सी. पेश की जो कि अप्रार्थी रामप्रताप के नाम थी। अप्रार्थी रामप्रताप ने बताया कि वह जसरासर से बाबुलाल का कपास अपनी पिकअप में भरकर बाबुलाल व ईश्वरचंद के साथ संखवास तहसील मूण्डवा में कपास फैक्ट्री में दिनांक 13.10.2021 को पहुंचा। वहां पहुंचकर श्री बाबुलाल ने अपना कपास फैक्ट्री में बेचा। कपास बेचने के पश्चात वापस बाबुलाल व ईश्वरचन्द के साथ पिकअप से नागौर पहुंचे। नागौर पहुंचने पर अप्रार्थी ईश्वरचंद ने उम्मेदसिंह जोधा मो.न.9414118421 से सम्पर्क किया तो उम्मेदसिंह ने मै. धनलक्ष्मी ट्रांसफर फैक्ट्री से ट्रांसफर तेल लेने का बोला। बाद अप्रार्थी रामप्रताप, अप्रार्थी ईश्वरचन्द एवं श्री बाबुलाल तीनों मैसर्स धनलक्ष्मी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री पहुंचे तो वहां श्री राजाराम नाम का मुनीम मिला जिसने श्री उम्मेदसिंह से दूरभाष पर बात करने के पश्चात ईश्वरचंद को तीन ड्रमों मे 580 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल दिया। वहां से तीन ड्रमों मे भरा 580 लीटर ट्रांसफार ऑयल व एक खाली ड्रम पिकअप मे डालकर वापस गांव आ रहे थे कि श्री बालाजी के पास पुलिस ने मेरी गाडी को रूकने का ईशारा किया तो उसके द्वारा गाडी रोकने के बजाय तेज गति से भगाया। पुलिस की गाडी द्वारा पिछा करने पर मेरे द्वारा आगे चलकर गाडी को सड़क के किनारे खडा करके अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया और उसका साथी अप्रार्थी ईश्वरचंद को पुलिस ने पकड लिया। अपने बयानों में बताया

कलक्टर नागौर

कि यह पेट्रोलियम पदार्थ अप्रार्थी ईश्वरचंद का है इस पेट्रोलियम पदार्थ को अप्रार्थी ईश्वरचंद के घर तक छोडने के बदले उसको किराया मिलना था। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी ईश्वरचंद ने अपने बयानों मे स्वीकार किया कि अप्रार्थी रामप्रताप की पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.ए. 3807 में नागौर से श्री उम्मेदसिंह जोधा की फैक्ट्री मै. धन लक्ष्मी ट्रांसफार्मर से 580 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल लेकर आ रहा था कि रास्ते मे श्री बालाजी के पास पुलिस ने पिकअप को रोकने का ईशारा किया तो अप्रार्थी रामप्रताप ने पिकअप रोकने की बजाय पिकअप को तेज गति से भगाया। पुलिस द्वारा हमारी गाडी का पिछा करने पर अप्रार्थी रामप्रताप ने पिकअप को आगे चलकर सड़क के किनारे खडा कर भाग गया और पुलिस ने उसको पकड लिया। अप्रार्थी ईश्वरचंद ने अपने बयानों मे स्वीकार किया कि उक्त 580 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ से भरे तीनों ड्रम व एक खाली ड्रम उसका स्वयं का है। इस पेट्रोलियम पदार्थ को उसके द्वारा स्वयं के ट्रैक्टर व ट्रांसफार्मर में काम मे लेना बताया। मौके पर अप्रार्थीगण ईश्वरचंद व रामप्रताप से पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विकय से सम्बन्धित दस्तावेज मांगने पर किसी प्रकार के दस्तावेज नही होना बताया। उनके द्वारा वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.ए. 3807 की आरसी. व आधार कार्ड पेश किये। पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विकय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही किये जाने पर पिकअप वाहन आर.जे. 13 जी.ए. 3807 मय580 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 4 ड्रम को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्तसुदा पिकअप मे भरे हुए ड्रमों मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ से बराबर मात्रा मे नमूनों हेतु एक एल्युमिनियम कास्वच्छ बाल्टी मे पेट्रोलियम पदार्थ भरा गया। नमूनों हेतु लिए गये पेट्रोलियम पदार्थ को नमूनों हेतु प्रयुक्तहोने वाले तीन एल्युमिनियम के स्वच्छ पात्रों मे प्रति पात्र 1000 मिली लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा गया एवं लिये गये नमूनों को ए.–1, ए.–2 व ए.–3 मार्का दिया गया। एवं उक्त नमूनों पर आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन कर सूचना चस्पा की गई। नमूनों कमांक ए–1 के एल्युमिनियम पात्र को प्लास्टिक सील संख्या एस.12348705, ए.–2 को एस.2348712 व ए.–3 को प्लास्टिक सील संख्या एस. 12348751 से सील्ड किया गया। इस प्रकार पुलिस तहरीर, बयान अप्रार्थी रामप्रताप पुत्र श्री टिकूराम, बयान अप्रार्थी ईश्वरचंद पुत्र श्री दामाराम के अनुसार दिनांक 13.10.2021 को अप्रार्थीगण रामप्रताप व ईश्वरचंद द्वारा पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.ए.3807 मे नागौर से अवैध रूप से मिलावटी डीजल कम दर पर खरीदकर अवैध रूप से बिकी हेतु ले जाया जाना पाया गया जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी निर्देशों का उल्लघंन है जो धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से वास्ते सबूत पिकअप वाहन संख्या आर.जे 13 जीए. 3807 चार लोहे के ड्रम मय 580 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को जब्त सरकार किया जाकर वास्ते सुरक्षा पुलिस थाना श्रीबालाजी की सुपुर्दगी मे दिया गया। जब्तसुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जांच हेतु आर.एस.एफ.एल. जोधपुर को भेजा गया।

2(1)–प्रकरण में उक्त जब्तसुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जांच के संबंध में Regional Forensic Science Laboratory, Jodhpur की रिपोर्ट कमांक–RFSL(JOD)/6519/CAE/146/21 दिनांक 31.10.2022 में वर्णित किया गया है कि The liquid sample contained in the packet marked A-1 did not confirm the BIS Specification of- (i) Diesel (IS 1460: 2017) in respect of distillation characteristics and kinematic viscosity at 40°C. (ii) Transformer oil (IS 335: 1993) in respect of flash point. On the basis of distillation characteristics the above sample was found to be of petroleum hydrocarbon fractions having density 0.8384 at 15°C and flash point 97°C (PMCC). प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है, जिसके परिवहन एवं भण्डारण के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा दौराने जॉच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का स्पष्ट उल्लघंन होने का कथन करते हुए प्रकरण में जब्तसुदा पिकअप वाहन संख्या–आर.जे. 13 जीए 3807 चार लोहे के ड्रम मय 580 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

कलक्टर नागौर

3. वकील श्री भागीरथ चौधरी ने अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब में किय गये कथनों को हूबहू दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय नागौर व्दारा जो परिवाद/आवेदन प्रस्तुत किया गया है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी व्दारा गलत आधारो पर उक्त परिवाद/आवेदन पेश किया गया है। अप्रार्थी रामप्रताप के वाहन से किसी प्रकार का कोई ड्रम बरामद नहीं हुए न ही रामप्रताप के वाहन पीकअप रजि. नम्बर आर.जे.13/जी. ए. 3807 से कोई पेट्रोलियम प्रदार्थ बरामद हुआ है। अप्रार्थी ईश्वरचन्द से भी किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है, गलत रूप से पुलिस थाना श्रीबालाजी में सीआर नम्बर 144/2021 अपराध अधीन धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है जो अभी जैर अनुसंधान है जिसमें नतीजा पेश होना शेष है। ऐसी सूरत में अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना न्यायोचित नहीं है। उक्त प्रकरण से संबंधित पुलिस थाना श्रीबालाजी में मुकदमा दर्ज हो रखा है जिसमें जांच विचाराधीन हे व एक ही अपराध के लिए व के दो प्रकरण चलाये नहीं जा सकते। ऐसी सूरत में जब तक सीआर नम्बर 144/2021 पुलिस थाना श्रीबालाजी का निर्णय संबंधित न्यायालय न्यायिक मजि. नागौर व्दारा नहीं हो जाता तब तक इस प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही की जाना न्याय संगत नहीं है। उपरोक्त तथ्यो को व न्यायिक सिद्धान्त को मध्य नजर रखते हुए इस स्टेज पर जब्त सुदा पीकअप वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.ए. 3807 को राजसात किया जाना न्यायोचित नहीं होने से प्रार्थी का आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी जिला रसद अधिकारी नागौर व्दारा प्रस्तुत आधारहीन बिना न्यायिक प्रक्रिया के पेश किया हुआ होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है।

4. प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने रिबटल में कथन किया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार कार्यवाही मौके पर ही की गई, जिसके संबंध में मौके पर ही फर्द मौका एवं जब्ती दिनांक 19.10.2021 तैयार की गई जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों एवं अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर है। उक्त फर्द मौका एवं जब्ती दिनांक 19.10.2021 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। मौके पर ही फर्द सुपुर्दगीनामा तैयार दिनांक 19.10.2021 को तैयार किया गया है, जिस पर भी सुपुर्दगी देने वाले एवं लेने वाले के हस्ताक्षर है, उक्त सुपुर्दगीनामा की प्रति भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। मौके पर ही फर्द नमूना दिनांक 19.10.2021 को तैयार की गई जिस पर भी अप्रार्थीगण व अन्य के हस्ताक्षर है। मौके पर ही अप्रार्थीगण के दिनांक 19.10.2021 को बयान लिये गये, जिन पर भी अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर है, उक्त बयानों की प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। उपर्युक्त समस्त दस्तावेजों से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ताईद होती है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जब्त किये गये लौहे के ड्रमों एवं वाहन से पेट्रोलियम पदार्थ बरामद नहीं होने का कथन मात्र किया है, जो कतई गलत एवं मिथ्या कथन है। हस्तगत प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का अप्रार्थीगण द्वारा उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत कार्यवाही हेतु विधि अनुसार यह प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 जो की एक दण्डनीय अपराध होने से उक्त संबंध में पृथक से प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना श्रीबालाजी में दर्ज करवाई गई है। इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत कार्यवाही तथा उक्त अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही, पृथक–पृथक कार्यवाही है। उक्त अधिनियम की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना श्रीबालाजी में दर्ज होने से हस्तगत प्रकरण में बाद सुनवाई निर्णय किये जाने में किसी प्रकार की रोक नहीं है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो की उक्त अधिनियम की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाने से उक्त अधिनियम की धारा 6ए के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है, का कथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में पुलिस थाना श्री बालाजी तहसील नागौर से प्राप्त तहरीर के आधार पर जिला रसद अधिकारी, नागौर ने अन्य कार्मिकों के साथ पुलिस थाना श्रीबालाजी पहुंच कर द्वारा डिटेन सुदा वाहन सं. आर.जे. 13 जी.ए. 3807 पिकअप व उसमे भरे हुए लोहे के ड्रमों ने भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के दौरान उक्त डिटैन सुदा वाहन सं. आर जे.13 जी.ए. 3807 पिकअप जिसमें पिछे

कलक्टर नागौर

रखे हुए 4 लोहे के ड्रमों मे तीन ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुए व एक ड्रम खाली पाया गया। मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ से भरे लोहे के तीन ड्रमों का डिप रोड से मापन करने पर दो ड्रमों में 200 लीटर प्रति ड्रम कुल 400 लीटर व एक ड्रम में 180 लीटर इस प्रकार तीनों ड्रमों मे कुल 580 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी रामप्रताप वाहन चालक आर.जे. 13 जी.ए. 3807 व अप्रार्थी ईश्वरचन्द से पूछताछ कर बयान दर्ज किये गये। अप्रार्थी रामप्रताप ने बताया कि वह जसरासर से बाबुलाल का कपास अपनी पिकअप में भरकर बाबुलाल व ईश्वरचंद के साथ संखवास तहसील मूण्डवा में कपास फैक्ट्री में दिनांक 13.10.2021 को पहुंचा। वहां पहुंचकर श्री बाबुलाल ने अपना कपास फैक्ट्री में बेचा। कपास बेचने के पश्चात वापस बाबुलाल व ईश्वरचन्द के साथ पिकअप से नागौर पहुंचे। नागौर पहुंचने पर अप्रार्थी ईश्वरचंद ने उम्मेदसिंह जोधा मो.न.9414118421 से सम्पर्क किया तो उम्मेदसिंह ने मै, धनलक्ष्मी ट्रांसफर फैक्ट्री से ट्रांसफर तेल लेने का बोला। बाद अप्रार्थी रामप्रताप, अप्रार्थी ईश्वरचन्द एवं श्री बाबुलाल तीनों मैसर्स धनलक्ष्मी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री पहुंचे तो वहां श्री राजाराम नाम का मुनीम मिला जिसने श्री उम्मेदसिंह से दूरभाष पर बात करने के पश्चात ईश्वरचंद को तीन ड्रमों मे 580 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल दिया। वहां से तीन ड्रमों मे भरा 580 लीटर ट्रांसफार ऑयल व एक खाली ड्रम पिकअप मे डालकर वापस गांव आ रहे थे कि श्री बालाजी के पास पुलिस ने मेरी गाडी को रूकने का ईशारा किया तो उसके द्वारा गाडी रोकने के बजाय तेज गति से भगाया। पुलिस की गाडी द्वारा पिछा करने पर मेरे द्वारा आगे चलकर गाडी को सड़क के किनारे खडा करके अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया और उसका साथी अप्रार्थी ईश्वरचंद को पुलिस ने पकड लिया। अपने बयानों में बताया कि यह पेट्रोलियम पदार्थ अप्रार्थी ईश्वरचंद का है इस पेट्रोलियम पदार्थ को अप्रार्थी ईश्वरचंद के घर तक छोडने के बदले उसको किराया मिलना था। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी ईश्वरचंद ने अपने बयानों मे स्वीकार किया कि अप्रार्थी रामप्रताप की पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.ए. 3807 में नागौर से श्री उम्मेदसिंह जोधा की फैक्ट्री मै. धन लक्ष्मी ट्रांसफार्मर से 580 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल लेकर आ रहा था कि रास्ते मे श्री बालाजी के पास पुलिस ने पिकअप को रोकने का ईशारा किया तो अप्रार्थी रामप्रताप ने पिकअप रोकने की बजाय पिकअप को तेज़ गति से भगाया। पुलिस द्वारा हमारी गाडी का पिछा करने पर अप्रार्थी रामप्रताप ने पिकअप को आगे चलकर सड़क के किनारे खडा कर भाग गया और पुलिस ने उसको पकड लिया। अप्रार्थी ईश्वरचंद ने अपने बयानों मे स्वीकार किया कि उक्त 580 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ से भरे तीनों ड्रम व एक खाली ड्रम उसका स्वयं का है। इस पेट्रोलियम पदार्थ को उसके द्वारा स्वयं के ट्रैक्टर व ट्रांसफार्मर में काम मे लेना बताया। मौके पर अप्रार्थीगण ईश्वरचंद व रामप्रताप से पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विकय से सम्बन्धित दस्तावेज मांगने पर किसी प्रकार के दस्तावेज नही होना बताया। उनके द्वारा वाहन संख्या आर.जे. 13 जी.ए. 3807 की आरसी. व आधार कार्ड पेश किये। उनके द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विकय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही किये जाने पर पिकअप वाहन आर.जे. 13 जी.ए. 3807 मय580 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 4 ड्रम को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्तसुदा पिकअप मे भरे हुए ड्रमों मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ से नियमानुसार नमूने लिये गये। प्रकरण में उक्त नमूनों के संबंध में एफ.एस.एल से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया, जिसके परिवहन एवं भण्डारण के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा दौराने जॉच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की है। प्रकरण में रसद विभाग द्वारा मौके पर कार्यवाही करते हुए फर्द मौका एवं जब्ती, फर्द नमूना तैयार की जिस पर अन्य के साथ–साथ अप्रार्थीगण के भी हस्ताक्षर है। रसद विभाग द्वारा जब्तशुदा वाहन व पेट्रोलियम पदार्थ से भरे लौहे के ड्रम पुलिस थाना श्रीबालाजी को सुपुर्दगी में दिये गये जिसके संबंध में फर्द सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। उक्त सभी दस्तावेजों से रसद विभाग द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त अधिनियम धारा 6ए के तहत प्रस्तुत आवेदन में दिये गये तथ्यों की पुष्टि होती है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना में उक्त अधिनियम धारा 3/7 के अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा देने एवं इस संबंध में सक्षम न्यायालय से निर्णय नहीं होने तक धारा 6ए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं करने के संबंध में कोई विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा धारा 6ए की कार्यवाही एवं धारा 3/7 की कार्यवाही पृथक–पृथक कार्यवाहियां है। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य

कलक्टर नागौर

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का स्पष्ट उल्लघंन होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा जब्तसुदा पिकअप वाहन संख्या–आर.जे. 13 जीए 3807 चार लोहे के ड्रम मय 580 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ का सम्पहरण (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा उक्त मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ व चार लौहे ड्रमों का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा पिकअप वाहन संख्या–आर.जे. 13 जीए 3807 के सम्पहरण के विकल्प में अप्रार्थी संख्या–2 रामप्रताप (वाहन मालिक) पर 20,000/–रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र)का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी संख्या–2 रामप्रताप (वाहन मालिक) द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय की दिनांक से 45 दिवस के भीतर उक्त जुर्माना राशि जमा करवा दिये जाने पर उक्त वाहन को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। अप्रार्थी संख्या–2 रामप्रताप (वाहन मालिक) द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर उक्त जब्तसुदा पिकअप वाहन संख्या–आर.जे. 13 जीए 3807 का नियमानुसार नीलामी करने का आदेश दिया जाता है एवं नीलामी से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7. निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर